न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान हनुमान बनाम कानाराम

मुकदमा संख्या / वर्ष टी0आई0 93 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/4/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश सैनी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री रामावतार शर्मा हाजिर। पत्रावली का अवलोकन कर पाया की अप्रार्थी संख्या 03 की सम्यक् तामील है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पर प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मण्डाभोपावास, पटवार हल्का पचार, भू.अ.नि. क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा 169 रकबा 1.0117 है0, खसरा नम्बर 169/515 रकबा 2.7696 है0 भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त, कब्जे काश्त, सहखातेदारी की कृषि भूमि है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण मनबट के अनुसार मौके पर अपने-अपने हिस्से पर काबिज है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादग्रस्त भूमि पर विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द-बुर्द करने पर उतारू है। उसे उसकी कब्जे की भूमि से जबरिया बेदखल करने, बेचान, हस्तानान्तरण करने की ऐलानिया धमकी देते है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर किसी विशिष्ट भू-भाग का बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नहीं करने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने हेतु निवेदन किया गया है। अप्रार्थीगण की विधिवत् तामील पूर्ण करवाई गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01, 02 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी ने मनबट के आधार पर विभाजन कर रखा है। तकासमा करवाने के लिए कभी इन्कार नहीं किया है। प्रार्थना पत्र झूठे व कपोल कल्पित तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी, अप्रार्थीगण के उपयोग उपभोग व आने-जाने मे बाधा कारित करता है। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन कर न्यायालय यह पाता है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र, दावा तकसीम के साथ पेश किया है। वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अविभाजित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का इंच टू	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:06:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

25/4/25

इंच में हिस्सा निहित होता है।

अतः वाद बहुलता को रोकने एवं वाद की विषय–वस्तु को संरक्षित रखने हेतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि अवस्थित ग्राम मण्डाभोपावास, पटवार हल्का पचार, भू.अ.नि. क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा 169 रकबा 1.0117 है0, खसरा नम्बर 169/515 रकबा 2.7696 है0 पर उभयपक्षों को ताफैसला वाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। यह व्यादेश कृषि कार्य व सरकारी योजनाओं पर लागू नहीं होगा।

निर्णय आज दिनांक 25/04/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 15:05:41 IST
Reason: SelfAttested